अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर

क्रमांकः अ.वि.प्रा./प.3/नियोजन शाखा/2024/M 1082/5881 दिनांकः 25.10.2024

श्रीमती सन्तरा देवी पत्नी श्री रामपाल,
श्रीमती सोहनी देवी पत्नी श्री पांचू,
निवासीः– 193, सरस्वती नगर,
घुघरा, अजमेर।

विषयः– राजस्व ग्राम माकडवाली (जोन उत्तर) के खसरा संख्या 1248 कुल क्षेत्रफल 3400.00 वर्गमीटर भूमि का आवासीय योजना के तहत ले–आउट प्लान स्वीकृति बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्व ग्राम माकडवाली (जोन उत्तर) के खसरा संख्या 1248 कुल क्षेत्रफल 3400.00 वर्गमीटर भूमि हेतु प्रस्तुत आवासीय योजना मानचित्र को भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 05/2024वीं बैठक दिनांक 14.08.2024 में प्रस्ताव संख्या 23 द्वारा अनुमोदित किया गया है। उपरोक्त ले–आउट के क्रियान्वयन हेतु निम्न शर्तों की पूर्ण पालना किया जाना अनिवार्य होगा :–

1. आवेदित भूमि में सडक मार्गाधिकार में कोई निर्माण नही होने की सुनिश्चितता उपरान्त ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावेगी।
2. अनुमोदित मानचित्रानुसार मौके पर सुविधा क्षेत्र, सडक, पार्क इत्यादि के डिमार्केशन की सुनिश्चितता जोन/प्रार्थी के स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान संबंधित अग्रिम कार्यवाही प्रार्थी द्वारा की जावें।
3. आवेदित भूमि का क्रियान्वयन, स्वीकृत योजना मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा एवं टाउनशिप पॉलिसी–2010 के समस्त प्रावधानो की सुनिश्चित आवेदक द्वारा सम्पूर्ण रूप से किया जाना अनिवार्य होगा।
4. योजना के भूखण्डों पर सैटबैक व अन्य मानदण्ड भवन विनियम 2020 अजमेर रीजन के प्रावधानानुसार रखे जाने होंगे तथा निर्माण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।
5. आवेदित भूमि में से यदि किसी भी क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यंत्र सडक के सहारें शिफ्ट किया जावें जिसकी सुनिश्चिता उपरान्त जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावेगा।
6. योजना का क्षेत्रफल 2 हैक्टेयर से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Elevated Service Reservior का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियान्त्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा।
7. योजना में सृजित भूखण्डों का पट्टा विलेख हेतु आवेदन से पूर्व समस्त बकाया राशि (यदि कोई देय हो) प्राधिकरण कोष में जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।
8. स्वीकृत योजना मानचित्र प्राप्त होने के पश्चात रेरा रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य होगा व रेरा रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति प्राधिकरण में उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही पट्टा विलेख जारी किये जावेगे। इसी क्रम में योजना में सृजित भूखण्डो के स्थल मानचित्रों में रेरा रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
9. टाउनशिप पॉलिसी–2010 के प्रावधान अनुसार कुल विक्रय योग्य क्षेत्रफल का 12.5 प्रतिशत भूखण्डों को रहन रखे जाने हेतु पट्टो के आवेदन से पूर्व शपथ पत्र मय भूखण्डों की सूची कार्यलय में प्रेषित की जानी होगी।

10. योजना मानचित्र में केवल तकनीकी अनुमोदन दिया जा रहा है, जिसे स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज नहीं माने जावे।
11. उक्त प्रस्तावित भूमि से संबंधित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी स्वयं की होगी। इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे की प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है तथा किसी न्यायालय में कोई वाद लंबित नही है, इस बाबत जोन स्तर से शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
12. प्रस्तावित भूमि के संबंध में आवेदक द्वारा कोई गलत कथन अथवा सारवान तथ्य छुपाया जाना सिद्ध पाया जाये तो उक्त स्थिति में यह स्वीकृति स्वतः ही निष्प्रभावी मानी जावेगी।

स्वीकृत ले–आउट प्लान की प्रमाणित प्रतिलिपि की प्रति संलग्न कर प्रेषित हैं।

(मुकेश मित्तल)
निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर।

क्रमांक : अविप्रा./प.3/नियोजन शाखा/2024/

दिनांक :

प्रतिलिपिः–

1. उपायुक्त (उत्तर,) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
2. रक्षित पत्रावली के साथ ले–आउट प्लान की एक प्रति संलग्न कर ड्राईंग रिकॉर्ड में संधारण हेतु।

(मुकेश मित्तल)
निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर।

LAYOUT PLAN

SACLE :- 1" = 40'-0"

N

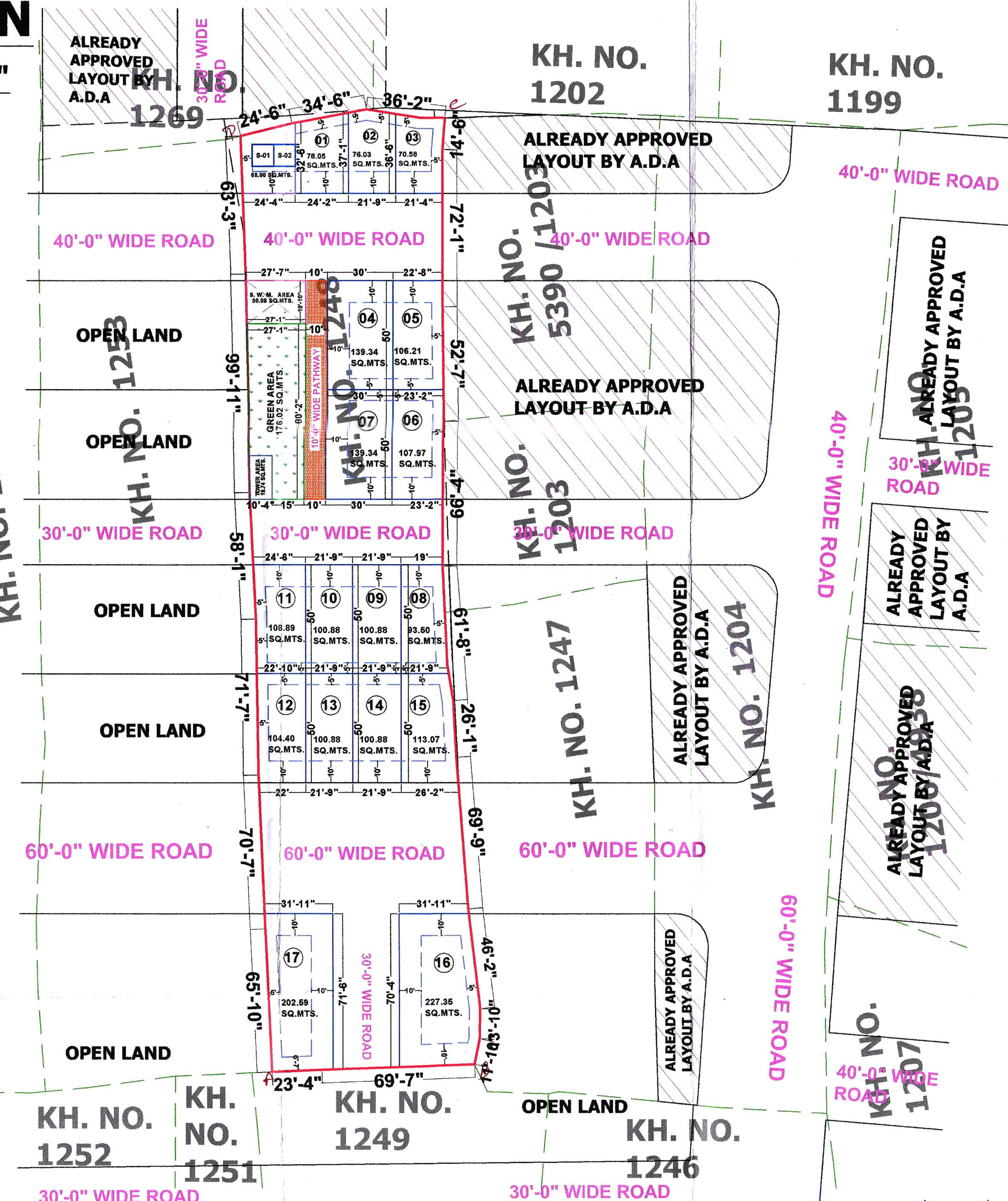

RESIDENTIAL PLOT'S AREA

PLOT NO.	PLOT AREA SQ. MTS.
01	78.05
02	76.03
03	70.58
04	139.34
05	106.21
06	139.34
07	107.97
08	93.50
09	100.88
10	100.88
11	108.89
12	104.40
13	100.88
14	100.88
15	113.07
16	227.35
17	202.59
TOTAL = 1970.83 SQ. MTS.	

NOTE:-

1. PROPOSED SITE SHOWN IN RED

2. TOTAL LAND	= 4066.50 SQ.YDS.	/ 3400.00 SQ.MTS.	=	100.00%
3. PLOTED AREA	= 2357.17 SQ.YDS.	/ 1970.83 SQ.MTS.	=	57.96%
4. INFORMAL SHOP AREA	= 81.32 SQ.YDS.	/ 68.00 SQ.MTS.	=	02.00%
5. ROAD AREA	= 1333.96 SQ.YDS.	/ 1115.33 SQ.MTS.	=	32.80%
6. TOWER AREA	= 23.60 SQ.YDS.	/ 19.74 SQ.MTS.	=	00.58%
7. GREEN AREA	= 210.52 SQ.YDS.	/ 176.02 SQ.MTS.	=	05.18%
8. S.W.M AREA	= 59.89 SQ.YDS.	/ 50.08 SQ.MTS.	=	01.48%

90-क आवदेन क्रमांक LLO/2024-25/01183 दिनांक ... में प्राधिकृत अधिकारी (उपायुक्त जोन ...) के आदेश दिनांक ... की पालना में राजस्व ग्राम ... के खसरा नम्बर 1248 ... क्षेत्रफल ... हैक्टयर के प्रस्तुत ले-आउट ... द्वारा जारी प्रमाणित ... से मिलान कर ... किया जाकर सुपरइम्पोज/ भौतिक सत्यापन किया गया।

दिनांक ... तहसीलदार / ... प्रभारी भू-अभिलेख अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

NOTE :
1. LAYOUT PLAN APPROVED VIDE AGENDA NO. 23 OF BUILDING PLAN COMMITTEE'S (LAYOUT PLAN) 05/2024 MEETING. DATED 14.8.2024
2. THIS IS THE ONLY TECHNICAL APPROVAL ... TOWNSHIP POLICY, IT MUST NOT BE ... DOCUMENT OF OWNERSHIP.
3. LAYOUT PLAN IS TO BE READ WITH ORDER NO. ADA/P.12/NIYAMAN/... M 1088/5881 DATED 25.10.2024

सहायक नगर नियोजक अ.वि.प्रा. अजमेर ASST. TOWN PLANNER	SUV./D'MAN.	DR. PLANNING	DY. COMMISSIONER
PATWARI	JR. ENGINEER	(सुनिता) तहसीलदार अ.वि.प्रा. अजमेर TEHSILDAR	MANISH MAHESHWARI F.I.V., M.I.E., C.E., B.E. (CIVIL) MAHESHWARI TECHNOCRATES NR. ADA, TODARMAL MARG, CIVIL LINES, AJMER (RAJ.) +91-94...700 ARCHITECT

सोहनी सन्तरा

APPLICANT

PROPOSED LAY OUT PLAN SHOWING OF PLOT ON KH. NO. 1248, SITUATED AT VILLAGE MAKARWALI, DIST. AJMER.

BELONGS TO :- 1. SMT. SANTRA DEVI W/O SHRI RAMPAL,
2. SMT. SOHNI DEVI W/O SHRI PANCHU

Maheshwari Technocrates
MANISH MAHESHWARI
B.E.(CIVIL)
NEAR. A.D.A., TODARMAL MARG, CIVIL LINE'S , AJMER
MOB:- 9414004380,0145-2631330

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

FIVE HUNDRED RUPEES

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

V 019701

राजस्थान RAJASTHAN

YUVRAJ SINGH ADVOCATE Distt.-AJMER (Raj.) Regd. No. 6844 Exp. Dt. 03-10-2027 NOTARIAL GOVT. OF INDIA

22 OCT 2024

शपथ पत्र

हम (1) सन्तरा देवी उम्र– वर्ष पत्नी श्री रामपाल, जाति मेघवाल, निवासी– सरस्वती नगर, ग्राम घूघरा, तहसील व जिला अजमेर (राज.) (2) सोहनी देवी उम्र– वर्ष पत्नी श्री पांचू, जाति मेघवाल, निवासी– ग्राम लोहागल, तहसील व जिला अजमेर (राज.) शपथ पूर्वक बयान करते है कि : –

1. यह कि हमारी खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम माकड़वाली, तहसील व जिला अजमेर के खसरा संख्या 1248 रकबा 0.34 हैक्टर अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर से ले आउट प्लान स्वीकृत कराकर पट्टे जारी करवाने है।
2. यह कि खसरा संख्या 1248 रकबा 0.34 हैक्टर में भूखण्ड संख्या 3 का क्षेत्रफल 70.58 वर्ग.मी., भूखण्ड संख्या 8 का क्षेत्रफल 93.50 वर्ग.मी. व भूखण्ड संख्या 9 का क्षेत्रफल 100.88 वर्ग.मी. कुल क्षेत्रफल 264.96 वर्गमीटर को रिजर्व रखा जाए उक्त खसरा संख्या में विकास कार्य पूर्ण होते ही हम इन रिजर्व प्लॉटों के भी पट्टे जारी करवा देंगे।
3. यह कि कुल क्षेत्रफल का 12.5% रिजर्व रखा गया हैं।

13/11/24
उप नगर नियोजक
अ. वि. प्रा. अजमेर

संतरा सोहनी

शपथ कर्ता

स्थान– अजमेर
दिनांक – 9.11.2024

सत्यापन

हम उपरोक्त शपथकर्ता यह शपथ पूर्वक बयान करते है, कि उपरोक्त शपथ पत्र मे पैरा संख्या 1 से 3 हमारी निजि जानकारी मे सही व सत्य है।

संतरा शपथ कर्ता सोहनी

स्थान– अजमेर
दिनांक – 9.11.2024

S.No. 1414
Date 9.11.2024

NOTARY GOVT. OF INDIA YUVRAJ SINGH ADVOCATE Distt.-AJMER (Raj.) Regd. No. 6844 Exp. Dt. 03-10-2027

YUVRAJ SINGH NOTARY DIST.-AJMER

4815 ..... मु. 500 ..... दिनांक 8/11/24

... का नाम ..... रवेता देवी

पिता/पति का नाम ..... रामपाल

निवासी ..... अजमेर

द्वारा ..... अजमेर   व्हाइट - रजि. 49

प. चिकना के ह

केता के ह.

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के अन्तर्गत स्टाम्प राशि पर प्रभारित अधिभार
1. आधारभूत विकास हेतु अधिभार (0030-02-80-(02)-00) 10% Rs. 50
2. गौ-संवर्धन/संरक्षण हेतु अधिभार (0030-02-800-(03)-00) 10% Rs. 100
3. प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं से राहत हेतु अधिभार (0030-02-800-(04)-00) 10% Rs. 150
ह. स्टाम्प वेण्डर No. 39/23 ...

Aadhar No.

8384 - 3416 - 4470